संख्या-72/2021/2118 ई-2/तेरह2021-01/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 29 अक्टूबर, 2021

विषय- वर्ष 2021-22 के लिए शीरा नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-54/दस-185/शीरा नीति/2021-22, दिनांक 19.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 23 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की, 03 चीनी मिलें भारत सरकार की एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। शीरा वर्ष 2020-21 में 38 चीनी मिलें बन्द तथा 120 चीनी मिलें कार्यरत रहीं हैं।

3. वित्तीय वर्ष 2020-21 में आबकारी राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2020-21 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए उत्पादन का 18 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया था। शीरा वर्ष 2021-22 हेतु 570 लाख कुन्तल **(सी-हैवी एवं बी-हैवी)** शीरे का उत्पादन अनुमानित है।

4. चूंकि आगामी सत्र में पेरे जाने वाले गन्ने की अनुमानित मात्रा 10,600 लाख कुन्तल है और इसी के आधार पर शीरे की अनुमानित मात्रा आंकलित की गयी है, जो बढ़ भी सकती है तथा देशी मदिरा की मांग व उत्पादन में वृद्धि अनुमान पर आधारित है, इसलिए शीरा वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा हेतु शीरे का आरक्षण वर्तमान शीरे के अनुसार 18 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः शीरा वर्ष 2021-22 के लिए शीरा नीति निर्धारण के संबंध में आपके पत्र दिनांक 19-10-2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2021-22 के लिए शीरा

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नीति निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

5.1 शीरा वर्ष 2021-22 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं सम्भरण:-

5.1.1 प्रत्येक चीनी मिल/समूह द्वारा शीरा वर्ष 2021-22 में कुल पेरे जाने वाले गन्ने के 5.40 प्रतिशत की सी-हैवी शीरे की अनुमानित रिकवरी के आधार पर उत्पादित सी-हैवी शीरे की मात्रा अथवा कुल वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो, के **18 प्रतिशत** अंश को आरक्षित शीरे के रूप में उत्पादित एवं सम्भरित कराना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर आरक्षण प्रतिशत घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

यदि कोई भी चीनी मिल/समूह केवल बी-हैवी शीरे का अथवा बी-हैवी और सी-हैवी दोनों प्रकार के शीरे का उत्पादन करती है तो बी-हैवी शीरे की उत्पादित मात्रा को सी-हैवी शीरे के समतुल्य आगणित करके सी-हैवी शीरे की कुल मात्रा के आधार पर 18 प्रतिशत शीरा देशी मदिरा हेतु आपूर्ति चीनी मिल अथवा समूह द्वारा की जायेगी। इस हेतु बी-हैवी शीरे से प्रति कुं. 31 ए.एल. अल्कोहल तथा सी-हैवी शीरे से प्रति कुं. 22.5 ए.एल. अल्कोहल रिकवरी के आधार पर आगणन किया जायेगा। बी-हैवी शीरे के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कुल पेरे जाने वाले गन्ने की 6.50 प्रतिशत की बी-हैवी शीरे की अनुमानित रिकवरी अथवा वास्तविक रूप से उत्पादित बी-हैवी शीरे की मात्रा, जो दोनों में अधिक हो, के आधार पर किया जायेगा।

5.1.2 सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।

5.1.3 (अ) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी मॉग गत माह की 7वीं तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी व चीनी मिल द्वारा आसवनी की मॉग पर 10वीं तिथि तक निर्णय लेना होगा तथा उनके द्वारा आवंटित आरक्षित शीरे का नियमित रूप से क्रय के 15 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) चीनी मिलें आरक्षित शीरे के विक्रय हेतु टेण्डर किये जाने वाले शीरे की मात्रा माह के प्रथम सप्ताह में घोषित करेंगी।

5.1.4 जिन चीनी मिल/समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2020-21 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टाक उपलब्ध है, वे चीनी मिलें/समूह शीरा वर्ष 2021-22 में प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

5.1.5 (अ) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति शीरा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करके समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी शराब की आपूर्ति बाधित होगी, तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ब) पूर्वांचल में स्थित पेय आसवनियों द्वारा 20 से 25 प्रतिशत देशी शराब की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूर्वान्चल की इन आसवनियों को समूह की चीनी मिलों द्वारा पूर्वांचल स्थित कम से कम एक चीनी मिल से आरक्षित शीरे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

5.1.6 शीरा वर्ष 2020-21 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपनी इस अवशेष देयता को अनिवार्य रूप से माह जनवरी, 2022 तक शून्य करना होगा।

5.1.7 (अ) उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन **(घटाने अथवा बढ़ाने)** की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(ब) आरक्षण का प्रतिशत घटाने की स्थिति में पुनर्निर्धारित आरक्षित मात्रा से अधिक सम्भरित की गयी आरक्षित शीरे की मात्रा, मूल निर्धारित आरक्षित शीरे की सीमा तक आगामी शीरा वर्ष में आरक्षित शीरा की देयता में समायोजित की जायेगी।

5.1.8 देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियॉ तत्समय आसवनी में उपलब्ध आरक्षित शीरे के समायोजन के पश्चात ही आरक्षित शीरा आवंटन हेतु मॉग पत्र प्रस्तुत करेंगी।

5.2 **वर्ष 2020-21 का अवशेष आरक्षित शीरे की देयता को अग्रेनीत किया जायेगा।** पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास होना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2020-21 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की अवशेष देयता की अग्रेनीत मात्रा को अनारक्षित/स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तन करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चीनी मिलें उक्त परिवर्तित मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2021-22 के उत्पादन से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2021-22 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह प्रतिबन्ध भी होगा कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28-02-2022 को इस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2021-22 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गत वर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2021-22 में सम्भरित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टाक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

5.2.1 शीरा वर्ष 2021-22 में उपलब्ध सी-हैवी शीरे की मात्रा के 18 प्रतिशत अंश को आरक्षित किया जाता है। तदनुरूप चीनी मिलों द्वारा आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के अनुपात 1:4.55 का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे का कम से कम 8 प्रतिशत शीरे का सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा तथा प्रचलित शीरा वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में 25 प्रतिशत आरक्षित शीरा सम्भरण कराना बाध्यकारी होगा।

5.2.3 प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक ऑन लाइन शीरा पोर्टल पर टेण्डर अपलोड करेगी। इसकी सूचना पोर्टल द्वारा स्वचालित ई-मेल के माध्यम से समस्त देशी मदिरा आसवनियों, शीरा अनुभाग-मुख्यालय तथा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

5.2.4 यदि मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्यौगिक आसवनी से देशी मदिरा निर्माण के लिए ई.एन.ए. प्राप्त करेंगी तो ऐसी ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) प्राप्तकर्ता इकाई को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा को स्वतः प्राप्तकर्ता इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में घट जाने तथा आपूर्तक इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में समायोजित किये जाने का सहमति पत्र ई.एन.ए. क्रय करते समय देंगे। समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा, आपूर्तक आसवनी को अथवा समूह द्वारा नामित समूह की अन्य आसवनी के लिए आरक्षित शीरे में समायोजित हो जायेगी तथा प्राप्तकर्ता ईकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में से घट जायेगी।

5.3 अन्य राज्यों व अन्य राष्ट्रों को शीरे का निर्यात/आयातः-

अन्य राज्यों व अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात/आयात के सम्बन्ध में निर्णय हेतु शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता हैः-

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त	-	अध्यक्ष
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	-	सदस्य
शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई.आई.बी.)	-	सदस्य
उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	-	सचिव-संयोजक

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदेश में शीरे की आवश्यकता के लिये पर्याप्त शीरा उपलब्ध होने पर ही शीरे के निर्यात की अनुमति दी जायेगी। निर्यात हेतु पूर्व की भांति उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। शीरा वर्ष 2021-22 में उत्तराखण्ड राज्य की शीरा/अल्कोहल आधारित रसायनिक इकाईयों को 25 लाख कुन्तल शीरे के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है।

शीरा नीति वर्ष 2021-22 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने हेतु शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात/निर्यात की अनुमति आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।निर्यातक रजिस्टर्ड एवं एक्सपोर्ट लाइसेंसधारक हो तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल से आया हो।

5.4 शीरे पर प्रशासनिक शुल्कः-

शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर गत शीरा वर्ष 2020-21 की भांति शीरा वर्ष 2021-22 में भी प्रदेश के अन्दर खपत के लिए रू.20/- प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू.30/- प्रति कुन्टल रखने एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू.15/- प्रति कुन्टल रखने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू.30/- प्रति कुन्टल यथावत् रखी जाती है।

5.5 शीरा निधि की धनराशि का अन्तर-इकाई हस्तान्तरणः-

शीरा वर्ष 2021-22 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जाएगी। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर-इकाई हस्तानान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

5.6 खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रणः-

खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः अवैध मदिरा हेतु शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2021-22 में खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.7 शीरे के उठान पर नियंत्रण:-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का उठान/सम्भरण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा आसवनियों में शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी/स्टाक की समस्त सूचनाओं की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से पूर्व की भांति लागू रहेगी। इस हेतु विभागीय ऑन लाइन पोर्टल पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई को जी.एस.टी.एन. का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

5.8 रूग्ण चीनी मिलों/इकाईयों को छूट/रियायत दिये जाने के सम्बंध में:-

रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नही होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को शीरा वर्ष 2021-22 में इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति/छूट/रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

5.9 शीरे पर आधारित लघु इकाईयों, जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में:-

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन, शीरा वर्ष 2021-22 में शीरा नियंत्रक के स्तर से ही किया जाएगा।

5.10 शीरा नीति में व्यवहारिक परिवर्तन/परिमार्जनः-

शीरा नीति में परिवर्तन/परिमार्जन के मामलों में अनुमति शासन द्वारा मा.आबकारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जायेगी ।

5.11 केन जूस से एथनॉल निर्माण किए जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणनः-

यदि किसी चीनी मिल अथवा समूह द्वारा केन जूस से एथनॉल का उत्पादन किया जाता है तो केन जूस के उत्पादन हेतु पेरे गये गन्ने के 5.40 प्रतिशत सी-हैवी शीरे की रिकवरी के आधार पर आगणित मात्रा पर 18 प्रतिशत की दर से आरक्षित सी-हैवी शीरा अथवा समतुल्य बी-हैवी शीरा अथवा समतुल्य ई.एन.ए. देय होगा, जिसकी आपूर्ति केन जूस से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एथनॉल उत्पादक चीनी मिल द्वारा स्वंय अथवा समूह की किसी अन्य चीनी मिल द्वारा की जाएगी।

5.12 बिलोग्रेड शीरे का निस्तारण:-

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों/आसवनियों में संचित बिलोग्रेड शीरा के निस्तारण हेतु शीरा नीति 2020-21 में अनुमोदित व्यवस्था (यथासंशोधित शासनादेश संख्या:51/2000/ 1359 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 16-06-2020, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रेडरों एवं निर्यातकों को 500 कुन्तल तक बिलोग्रेड/जला शीरा क्रय करने का प्रतिबन्ध समाप्त करते हुए, पंजीकृत ट्रेडरों हेतु शीरा के परिवहन एवं सदुपयोग को सुनिश्चित करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाने की अनुमति भी प्रदान की गयी थी) को समाप्त करते हुए आगामी शीरा वर्ष 2021-22 में प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की वास्तविक शीरा उपभोक्ता इकाईयों (जिनका शीरा उपभोग किये जाने हेतु सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकरण हो) को एवं प्रदेश में स्थित पशु आहार इकाईयों को बिलोग्रेड शीरा आवंटित किया जायेगा।

5.13 जले शीरे का निस्तारण:-

प्रदेश की चीनी मिलों/आसवनियों में जले हुए शीरे के निस्तारण की व्यवस्था बिलोग्रेड शीरे की भांति लागू होगी। जले हुए शीरे को, निर्धारित प्रशासनिक शुल्क का 50 प्रतिशत जमा कर प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, आसवनी में प्रयोग कर सकते हैं।

5.14 शीरा नीति की वैधता अवधि:-

शीरा नीति 2021-22 तब तक यथावत प्रभावी रहेगी जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

5.15 शीरे का परिवहन:-

शीरे के सदुपयोग तथा राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु जी.पी.एस. युक्त टैंकरों में ही शीरे का परिवहन किया जायेगा।

5.16 शीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की उपभोग क्षमता:-

शीरा नीति वर्ष 2020-21 में शीरा आधारित नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के परिपे्रक्ष्य में एक लाख कुन्तल प्रतिवर्ष की मांग वाली इकाइयों के लिए निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया गया है। यह व्यवस्था शीरा नीति 2021-22 में भी यथावत लागू रहेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.17 चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने हेतु उपबन्धः-

चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

(1) चीनी मिलें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा संचित किया गया शीरा किसी भी तरह से लीक अथवा डिस्चार्ज होकर भूजल/सतह जल में न मिले। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि वायु प्रदूषण होने की सम्भावना न हो।

(2) चीनी मिलों द्वारा कच्चे पिटों में शीरा संचय हेतु शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(3) कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा।

(4) चीनी मिलों से प्रवाहित होने वाले द्रव्य पदार्थ की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

(5) सभी चीनी मिलों द्वारा वाटर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ पाल्यूशन) एक्ट, 1974 में निहित प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों/उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा

(6) सभी चीनी मिलों द्वारा शीरा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार शीरा वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित शीरा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं सर्वसम्बन्धित को आवश्यक निर्देश तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।